

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 431/2015/बाडमेर

अपील संख्या 432/2015/बाडमेर

मैसर्स शान्ति कृषि यन्त्रालय

शान्ति आयरन स्टोर, शिव, बाडमेर

अपीलीर्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट द्वितीय वृत्त-बालोतरा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री पी.एम.चौपडा

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2016

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम,, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 29 व 30/आरवैट/बीएमआर/13-14 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 07.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-बालोतरा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25(1), 61 व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 व 2012-13 के लिए कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर, शास्ति व ब्याज के सम्बन्ध में, पूर्ण जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी अपंजीकृत व्यवहारी है एवं उक्त फर्म के व्यवसाय स्थल की जांच वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.10.2012 को जांच करने पर राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर से कर योग्य खरीदे गये माल के सम्बन्ध में कांटा पर्चियां, बिल व बिल्टी आदि पायी गयीं, जिनका नियमित लेखा पुस्तकों में खरीद बिक्री का इन्द्राज नहीं किये जाने के कारण खरीद को बिक्री मानते हुए निम्न तालिका अनुसार कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया है, जिनसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने पूर्ण जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं, जिनसे क्षुब्ध होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं :-



अपील संख्या	कर	शास्ति	ब्याज
431 / 2015	83220 / -	1,66,440 / -	14980 / -
432 / 2015	48,030 / -	96,060 / -	6244 / -

अपीलीथी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा बिना लिखित अनुमति के अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच की गयी है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विभागीय जांच प्रक्रिया ना अपना की गई, जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि निरीक्षक स्तर पर किए सर्वे के आधार पर आरोपित किये गये कर व शास्ति को अविधिक बताया तथा उक्त के समर्थन में मदन लाल लक्ष्मी लाल बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (1989) 6 आर टी जे एस 63 व (1993) 17 आर टी जे एस 51 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सन आफ जबार चन्द कोठारी के न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धृत किया। उन्होंने अधिसूचना संख्या 2010-2239 दिनांक 31.03.2011 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि उपायुक्त (प्रशासन) की पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात ही सर्वेक्षण किया जाना विधिसम्मत है और हस्तगत प्रकरणों में बिना अनुमति के और वह भी कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी सर्वेक्षण किया गया है। उनका यह भी कथन है कि उक्त प्रकार से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर कर,शास्ति एवं ब्याज आरोपित करना अविधिक है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा निरीक्षक के पद नाम को बदलकर कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी किया गया है, जो अराजपत्रित कर्मचारी है और उसके जांच/सर्वेक्षण के आधार पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में मैसर्स गर्ग टिम्बर एवं आयरन स्टोर (35 टैक्स अप डेट 168) तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, अजमेर बनाम चन्दीराम एण्ड सन्स (23 टैक्स अपडेट 241(आरटीबी) को उद्धृत किया। उन्होंने अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत बहस को आधार बनाते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने यह जानते हुए कि अविधिक कार्यवाही के आधार पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है, बजाय अपील स्वीकार करने के उन्होंने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जो पूर्णतः अविधिक है। उन्होंने उक्त आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।




उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में निर्णय हेतु बिन्दु विवादित यह है कि क्या कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा केवल जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 2010-2239 दिनांक 30.03.2011 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशासन) की पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात ही सर्वेक्षण किया जाना विधिसम्मत है जबकि हस्तगत प्रकरण में सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन) की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, जिससे की गई समस्त कार्यवाही अविधिक है, क्योंकि उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन पर उपायुक्त(प्रशासन) से अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच करने हेतु कोई लिखित अनुमति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही किया जाना विधिक नहीं है। उनका यह भी कथन है कि उक्त अधिसूचना में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी का उल्लेख नहीं है उसमें जांच/सर्वेक्षण हेतु सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ही सक्षम है, अधिसूचना का सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है

“मैं निरंजन आर्य, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर अधिनियम की धारा 75 के अधीन स्वयं द्वारा बनाये गये अभियोग के निस्तारण की शक्तियों को छोड़कर अधिनियम की धारा 75 के अधीन वर्णित अन्य समस्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा नीचे अंकित अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित अधिकारियों को स्तम्भ 5 में वर्णित शर्त के अध्याधीन स्तम्भ सं. 3 में विनिश्चित क्षेत्र के लिए अधिकृत करता हूं (संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार से है):-

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी/अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार	शर्त
1	2	3	4
7	इस अनुसूची के क्र.सं. 1 से 6 के स्तम्भ संख्या 2 में अंकित अधिकारियों को छोड़कर विभाग के अन्य समस्त वृत्तों/घटों में पदस्थापित सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें वह पदस्थापित है	संबन्धित उपायुक्त (प्रशा.) की पूर्व अनुमति पश्चात्

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें मैसर्स गर्ग टिम्बर एवं आयरन स्टोर (35 टैक्स अप डेट) एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-प्रथम, अजमेर बनाम चन्दी राम ब्रदर्स (23 टैक्स अपडेट 241 आर.टी.बी)में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णयों को उद्धृत किया है, जिनके सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-



35TUD 168:- u/s 75(8) of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003:- Survey at the business premises of the respondent dealer was held and goods worth Rs. 1,03,460/- could not be verified, therefore tax & penalty was imposed. Appellate Authority set aside the order of levying tax & penalty. Rajasthan Tax Board while dismissing the appeal of the department held, that (i) survey conducted without written permission of competent authority is illegal and on that basis the survey proceeding can not be held legal and penalty deserves to be quashed on this single point.

23 TUD -241 (RTB), ACTO, Ward-I, Ajmer Vs. Chandi Ram Brothers held:- According to notification 27.05.1997 published on 30.05.1997 AC/CTO/ACTO are authorized to use their powers after taking written permission from the Zonal, DC, ADM. In this case, no such permission it seems to have been taken for conducting survey. Whether the survey is illegal, the levy of tax, surcharge and penalty are not in accordance with law.

कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ने दिनांक 20.10.2012 को व्यवसाय स्थल पर पहुँचकर जांच पर पाये गये दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है किन्तु जांच के दौरान पाये गये दस्तावेजों को कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ने स्वयं के हस्ताक्षरों प्रमाणित नहीं किया और ना ही दो गवाहों के उन पर हस्ताक्षर करवाये हैं, जिससे राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006 के नियम 50 एवं 51 की पालना नहीं हुई है। नियम 50 एवं 51 निम्न प्रकार हैं :-


50. Mode of service.- (1) The service of any summons, notice or order under the Act or the Rules may be effected in any one of the following ways, namely,
(a) by giving or tendering the copy thereof to the person addressed or his declared business manager or his authorized representative or to any person, other than an independent service provider, who submits or files documents on behalf of such person or dealer; or
(b) if the persons mentioned in clause (a) can not be easily found, by giving or tendering a copy thereof to an adult member of his family; or
(c) if the address of such person is known to the authority concerned, by sending a copy thereof by registered post or through an electronic device, or
(d) if none of the modes aforesaid is practicable, by affixation of a copy thereof in some conspicuous place at his last known place of business or residence, or by publishing in a State level newspaper.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in respect of a dealer or a person, the service of any summons, notice or order under the Act or the Rules may be effected by sending the contents of such summons, notice or order as the case may be, to the dealer or to his declared business manager or to his authorized representative, through an e-mail address provided by the dealer or the person, and such service shall be deemed to be a valid service on such dealer or person.

51. Procedure for search and seizure under section 75.- (1) The officer who carries out a search under section 75, shall adopt the following procedure,-

(a) The officer should record reasons as to why under the facts and circumstances of the case, search is necessary.

(b) Before making a search, such officer shall call upon two witnesses to attend and witness the search and may issue an order in writing to them to do so.



(c) The dealer or his business manager or any other person performing any activity relating to the business at the business place, building or other premises searched, shall be deemed to be the person in-charge of such premises and shall also be permitted to witness the search.

(d) If any building or place is an apartment in the actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the officer shall afford her every reasonable facility to withdraw.

(e) Search of person may be made, but in case of a woman it shall be carried out by a woman.

(f) In case of seizure of goods, articles and documents under this sub-rule, the procedure of sub-rule (2) shall be followed.

(2) The accounts, registers, documents, goods and articles may be examined without calling witnesses by the officer empowered under section 75, but in the case of seizure thereof, the following procedure shall be adopted,-

(a) seizure shall be made in the presence of two witnesses.

(b) seizure memo shall be prepared by such officer in Form VAT-46 and reasons for seizure shall be recorded therein.

(c) seizure memo shall also contain the list of the accounts, registers, goods, articles and the documents seized.


(d) seizure memo shall be signed by the officer who effects seizure, by the dealer or his business manager or person in-charge of the business and by the witnesses.

(e) The officer making seizure shall tender one copy of the seizure memo to the dealer or his business manager or the person in-charge of the business premises, as a token of receipt, and one copy thereof shall be forwarded by him to the Commissioner within twenty four hours after such seizure is made.

(3) The books of accounts or other documents maintained in the form of electronic record as defined in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Indian Information Technology Act, 2000, may also be seized. In such cases the dealer or his business manager or person incharge of the business or person incharge of these electronic records shall be bound to disclose the password and such other information as may be asked for by the authorized officer(s).

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से की गई जांच के आधार पर कार्यवाही करते हुए मांग सृजित किया जाना अनुचित है, क्योंकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2010-2239 दिनांक 31.03.2011 में जांच/सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी सम्मिलित ही नहीं है, इसलिए कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की जांच के आधार पर कार्यवाही करना अवैधानिक है। इसके अतिरिक्त जांच/सर्वेक्षण करते समय दो निष्पक्ष गवाहों को होना बाध्यकारी है, जिनके हस्ताक्षर मय पते अंकित होना चाहिए, जिसका भी अभाव है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उसको अविधिक ठहराने के स्थान पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसे उपरोक्त विधिक स्थिति के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुदीप शर्मा)
सदस्य